राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

संख्या–06/2025

प्रेस–विज्ञप्ति

भारत के संविधान के प्रावधान बुनियादी रूप से हमारे प्राचीन मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिम्बित करते हैं– राज्यपाल

पटना 21 जनवरी, 2025 :– माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खां ने बिहार विधान मंडल, पटना के विस्तारित भवन में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोबिन्द सिंह की आध्यात्मिक धाराओं से सिंचित बिहार की पावन धरती अनेकानेक मनीषियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यहाँ के नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा केन्द्रों तथा आर्यभट्ट, चाणक्य एवं अन्य महान विभूतियों ने एक महान परंपरा की स्थापना की।

उन्होंने कहा कि बिहार की ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त गौरवशाली है तथा लोकतांत्रिक परंपराएँ हमारे संस्थानों के अभिन्न अंग हैं। यहाँ लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार की धरती विश्व में लोकतंत्र की जननी रही है।

राज्यपाल ने कहा कि बिहार के वैशाली में बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। वहाँ की शासन व्यवस्था सामूहिक निर्णय के आधार पर चलती थी। तंत्र गण के अधीन था और महत्वपूर्ण निर्णय गण परिषदों की बैठकों में लिये जाते थे। आज की पंचायती राज व्यवस्था का उद्‌गम इन गण परिषदों में देखा जा सकता है। संभवतः इस महान परंपरा ने भी भगवान बुद्ध को वैशाली आने के लिए आकृष्ट किया था। साथ ही, उन्होंने उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर ही अपने संघ के नियम निर्धारित किये थे।

संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आज की संसदीय प्रणाली में भी बौद्ध संघ के अनेक नियम उसी रूप में विद्यमान हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सारी दुनिया में वंश पर आधारित राजतंत्र अपने चरमोत्कर्ष पर था, बिहार का वैशाली एकमात्र गणतंत्र था जहाँ का शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते थे। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनारा, रामग्राम, पिफली, सुपुता, मिथिला, कोलांगा आदि गणराज्यों में प्रतिनिधिमूलक राज व्यवस्था थी जिसका संचालन सभा, समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था।

उन्होंने कहा कि बिहार वही भूमि है जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। भारत के संविधान को तैयार करने में भी बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आगे पृष्ठ.....2 पर

राज्यपाल ने कहा कि संविधान सभा के वरीयतम सदस्य डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में इन दोनों के अलावा श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्रीकृष्ण सिन्हा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री जयपाल सिंह, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जैसी बिहार की अनेक विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक विधिक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों, सपनों और उद्देश्यों का प्रतीक है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद संविधान सभा ने इसे तैयार किया।

उन्होंने कहा कि आज हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और यह न केवल लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि यह उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केन्द्रित करता है जो हमारी राष्ट्र की पहचान के आधार हैं।

राज्यपाल ने कहा कि अमृत महोत्सव मनाने के उपरांत आज हम अमृतकाल में चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित कर इसे दुनिया के अग्रणी देशों में स्थापित करने का संकल्प लिया है। जब हम बड़ा लक्ष्य रखते हैं तब उसे प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा प्रेरणास्रोत चाहिए जो व्यक्ति के भीतर उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करे।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के प्रावधान बुनियादी रूप से हमारे प्राचीन मूल्यों और आदर्शों को प्रतिबिम्बित करते हैं। दुनिया की प्राचीन संस्कृतियों में भारत की संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहाँ हजारों वर्षों से चले आ रहे मूल्य और आदर्श आज भी प्रासंगिक और सार्थक हैं। भारतीय दर्शन का सर्वश्रेष्ठ मूल्य और आदर्श मानव की एकात्मकता है।

उन्होंने कहा कि जब भारत राजनीतिक रूप से छोटे–छोटे टुकड़ों में विभक्त था तब आदि शंकराचार्य ने देश के चार भागों में चार मठों की स्थापना कर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया तथा उन चारों मठों को चारों वेदों से एक–एक महावाक्य दिया जो एक ही तत्व को इंगित करते हैं और वह है मानव की एकता।

राज्यपाल ने कहा कि भारत ने हजारों वर्ष पूर्व इन चारों महावाक्यों के माध्यम से मानव की दिव्यता की घोषणा की जिसमें मानव की प्रतिष्ठा, समता और न्याय शामिल हैं। हमने आत्मा को आधार बनाया है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, फिर भी वह नूतन है। भारत को आत्मा से जोड़कर देखा गया है क्योंकि इसकी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है। भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है।

उन्होंने कहा कि पीठासीन पदाधिकारी लोकतांत्रित संस्थाओं के प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं और उनके उपर महती जिम्मेदारी है। उनकी प्रतिष्ठा के उपर किसी भी प्रकार का हमला देश के लोकतंत्र के उपर हमला है। इससे निपटने और इसे नियंत्रित करने की पूरी क्षमता उनमें मौजूद है।

आगे पृष्ठ.....3 पर

गीता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए उन्होंने कि अपने स्वार्थ के लिए परिश्रम करना अज्ञानता है और दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना प्रेरक होता है। दुविधा में होने पर महात्मा गाँधी समाज के अंतिम व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेते थे। राज्यपाल ने वाल्मीकि रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान राम ने लोक आराधना के लिए माता सीता के त्याग का अनुपम उदाहरण रखा। यही भारत का आदर्श है।

उन्होंने कहा कि हमें राजनीति को पश्चिमी दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में राजनीति का अर्थ है कि हम बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें तथा ज्ञान और अच्छे संस्कार प्राप्त करने की कोशिश करें।

.....